न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :–श्री कैलाशचन्द्र शर्मा आर.ए.एस

मु0 माल स0 73/2013

1–मंगासिंह पुत्र अमरसिंह जाति जटसिख साकिन 10 जी छोटी ते0गंगानगर

2–गुरदेवकौर बेबा अमरसिंह जाति जटसिख साकिन 10 जी छोटी ते0गंगानगर

3–गुरविन्द्रकौर बेबा कालासिंह जाति जटसिख साकिन 10 जी छोटी ते0गंगानगर

4–दलजीतसिंह पुत्र कालासिंह जाति जटसिख साकिन 10 जी छोटी ते0गंगानगर– प्रार्थीगण

बनाम

1–करतारकोर बेबा कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

2–हरपालकोर पुत्री कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

3–गुरजीतकौर पुत्री कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

4–गुरदीपकौर पुत्री कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

5–दर्शनसिंह पुत्र कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

6–नायबसिह पुत्र कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

7–कौरसिंह पुत्र कामीरसिंह जटसिख साकिन 9 जी छोटी ते0गंगानगर

8–स्टेट आफ राजस्थान जरिऐ तहसीलदार श्रीगंगानगर/उप पंजीयक चूनाबढ –अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–1–श्री राजवीर सिंह एडवोकेट–प्रार्थीगण

2–श्रीजीतपालसिंह सैनी एडवोकेट– अप्रार्थीगण

:–आदेश–: दिनांकः–23 जून,2015

सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि दावा अन्तर्गत 88–91–188 एंव 92ए धोषणा खातेदारी एंव कब्जा दिलाने एंव स्थाई निषेघाज्ञा का पेश किया हुआ है। चक 10 जी छोटी के खाता स0 68/65 मु0न055 की 1.768 हैक्टयर भूमि वादीगण के कब्जा कास्त वारी पानी उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण के कब्जा कास्त वारी पानी उपयोग उपभोग में खुद अथवा अन्य की सहायता से मदाखलत करने जबरन बेदखल करने व बाज व ममनू रहें। वादपत्र के साथ प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जीतपालसिंह सैनी एडवोकेट उपस्थित आये ओर दिनांक 5–3–2013 को जबाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि

उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर

— cont. (2)

प्रार्थीगण का प्रथम द्वष्टया प्रकरण नहीं बनता हैं कामीर का नाम सेहवन से दर्ज नहीं हुबा बल्कि कामीरसिंह असल में मालिक हैं तथा काबिज काश्त है। उक्त भूमि अप्रार्थीगण के पिता के कब्जा काश्त में रही है। प्रार्थीगण जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रतिकूल कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अप्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार हैं रिकार्डड खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेघाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें।

दिनांक 15–6–2015 को उभय पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि उक्त विवादास्पद भूमि पर प्रार्थीयान का कब्जा है। मूल वाद के निर्णय तक रिकार्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाई रखी जावे। नामान्तरणकरण को चुनौती दी हुई है। मूल वाद में तनकीयात कायम होकर साक्ष्य/सबूतों के आधार पर तैय होगा। भूमि पर कब्जा होने से प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं और सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीयान के पक्ष में है।वकील प्रार्थीयान के द्वारा आरबीजे(5)1998 पेज 381, आरबीजे(20)2013 पेज 216, आर आर डी 1995 पेज 717, आरबीजे(21)2014 पेज 85 की नजीर प्रस्तुत की है। अतः मूल वाद के निर्णय तक अस्थाई निषेघाज्ञा जारी की जावे। अप्रार्थीगण के सुयोग्य अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं ओर ना ही रिकार्डड खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेघाज्ञ जारी की जा सकती है।

हमने दोनों पक्षों के सुयोग्य अभिभाषकगणों की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का अध्ययन किया। प्रार्थीयान का जमाबन्दी सम्बत 2069–72 खाता स0 68/65 का नाम मुश्तर्का खाते की भूमि में नाम हैं। वादी के कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार से कोई दखल अन्दाजी व कब्जा काश्त वारी पानी उपयोग उपभोग में खुद अथवा अन्य की सहायता से मदाखलत करने जबरन बेदखल करने से बाज व ममनू रहने का मांगा हैं। मूल वाद में जबाब आने के पश्चात तनकीयात कायम होने पर साक्ष्य एंव सबूतों में तैय किया जावेगा। विवादास्पद भूमि पर कब्जा प्रार्थीयान का होने से प्रथम द्वष्टया प्रकरण बनता हैं ओर सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीयान के पक्ष में हैं। प्रार्थीयान का कब्जा होने के बाबजूद अप्रार्थीगण भूमि का बेचान कर देते हैं तो प्रार्थीयान को ही अपूरणीय क्षति होती है। तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में होने से चक 10 जी छोटी के खाता स0 68/65 के मु0न055 की 1.768 हेक्टयर भूमि की रिकार्ड एंव मौके पर यथास्थिति बनाई रखने हेतु अस्थाई निषेघाज्ञा मूल वाद के निर्णय तक जारी की जाती है। पत्रावली फैसला शुमार की जाकर नम्बर से कम होकर मूल वाद के साथ शामिल रहें।

यह आदेश दिनांक 23-6–2015 को मेरे लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कैलाशचन्द्र शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्री गंगानगर